अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या– 37 / 2003–04

पराये गोप

वनाम

मनोहर बेहरा।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह मुद्रा वाद दिनांक– 26.03.2004 को पराये गोप, पिता– स्व० जोगना गोप, निवासी ग्राम– तिरिलपी, पो०+थाना– कुमारडुँगी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा इस वाद के Schedule में अंकित राशि 1,73,283.00 (एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ तिरासी) रूपये वसूली हेतु देनदार मनोहर बेहरा, पिता– स्व० लखन बेहरा, ग्राम– तिरिलपी, पो०+थाना– कुमारडुँगी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में दिनांक– 18.11.2005 को वादी के गवाह प्रस्तुत करने हेतु आदेश हुआ लेकिन लम्बे समय बीत जाने के बाद भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः दिनांक– 26.02.2008 को वादी को गवाह प्रस्तुत करने हेतु अंतिम मौका दिया गया इसके बाद भी 2008 से दिनांक– 12.03.2022 तक गवाह पस्तुत नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि वादी को अपने वाद दावे के समर्थन में कोई अभिरूचि नहीं है। प्रतिवादी की ओर से भी कोई पैरवी नहीं की जा रही है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.26 17:29:22 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner